



भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolko@gmail.com

No: 8B/Raj/08/11/2016/FC/ 463
सेवा में,

Date: 06/01/2017

सचिव (वन),
राजस्थान शासन,
सिविल सचिवालय, जयपुर-302 005

Subject: Diversion of 4.00 ha. of forest land for laying of Drinking Water Pipeline in favour of Executive Engineer PHED Project Division, District Kota, State-Rajasthan

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि forest clearance web portal पर ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव जिसका विवरण नीचे दिया गया है, के निरीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में कुछ त्रुटियों पायी गयी हैं जो निम्नलिखित हैं-

Proposal No	FP/RJ/Water/18810/2016
Name of Project	laying of Drinking Water Pipeline in favour of Executive Engineer PHED Project Division Kota
Name of User Agency	Executive Engineer PHED Project Division Kota , PHED Project Division-I, Dadabari Kota (Rajasthan) Pin-324 009
Category of Project	Drinking water pipe line
Area (Ha)	4.00 Ha
Forest Division	Kota Territorial Forest Division and Kota Wildlife Division

1. एन0पी0वी0 की गणना नहीं प्रस्तुत की गयी है।
2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 एवं अन्य व्ययों की विवरण एक ही पृष्ठ पर की जानी चाहिए।
3. स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र में उप वन संरक्षण द्वारा भारमुक्तता की स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है।
4. डिजिटल मानचित्र में सभी 03 संरेखणों को दर्शाया जाना चाहिए ताकि मौजूदा संरेखण का औचित्य स्पष्ट हो। वैकल्पिक संरेखणों के आकलन के संबंध में तुलनात्मक पृष्ठ (शीट) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
5. वन्य जीव अभ्यरण/नेशनल पार्क से गुजरने वाली पाईपलाईन के संरेखण को डिजिटल मानचित्र में दर्शाया जाए।
6. वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र में ग्राम सभा की बैठक का प्रस्ताव (proceeding) नहीं सम्मिलित किया गया है, केवल सरपंच का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कृपया उपरोक्त उल्लिखित त्रुटियों को सही करके प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

Kindly provide the
Required informations by CoI.

भवदीय,

(अमित मिश्र)

उप वन संरक्षक(के.)

06/01/17

विशेषाधिकारी

वन विभाग

शासन सचिवालय, जयपुर